फा सं. 2.5(1)/ 2019-सामा.-II

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,

नई दिल्ली - 110069

दिनांक : 14.05.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बॉक्सों, नालीदार बॉक्सों (पैकेज-I) तथा मुद्रित और प्लास्टिक कोटिंग वाले (अंदर और बाहर से) नालीदार बॉक्सों (पैकेज-II) की तीन वर्ष तक आपूर्ति के लिए दो - बोली प्रणाली के अंतर्गत, ऐसे बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं जिनका वार्षिक कारोबार कम से कम **50 लाख (पचास लाख)** रुपये हो । निविदा का विशेष विवरण इस दस्तावेज के **अनुबंध-** I में दर्शाया गया है। मैनुअल बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । बोलीदाता पैकेज- I अथवा पैकेज-II अथवा पैकेज- I और II दोनों के लिए बोली प्रस्तुत कर सकते हैं ।

निविदा दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सीपीपीपी पोर्टल साइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका कार्यक्रम नीचे क्रिटिकल डेटशीट** में दिया गया है :-

<u>क्रिटिकल डेटशीट</u>

सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	**14.05.2020**
दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तारीख	**14.05.2020 (1430 बजे)**
बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तारीख	**14.05.2020 (1430 बजे)**
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**04.06.2020 (1700 बजे)**
स्पष्टीकरण की प्रारंभिक तारीख	**14.05.2020 (1430 बजे)**
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	**21.05.2020 (1200 बजे)**
तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख एवं समय	**05.06.2020 (1200 बजे)**
जमा धरोहर राशि (ई एम डी)	**2,00,000/- लाख रूपये**

बोलियां केवल ऑनलाइन सीपीपीपी वेब साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर प्रस्तुत की जाएंगी ।

बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल https: // eprocure. gov.in / eprocure / app **के माध्यम से ऑनलाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए सीपीपीपी पोर्टल में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें ।**

बोली दस्तावेज़ों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100 dpi** के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करता है ।

<u>सामान्य नियम एवं शर्ते</u>

1. <u>बोलियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

बोलियां केवल **केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल** (ई-प्रोक्योरमेंट) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

निविदा, निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, दो भागों अर्थात **तकनीकी बोली और मूल्य बोली** में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाए :-

- प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ, दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उन पर संख्या डाली जानी चाहिए, चाहे दस्तावेज़ों की विषय वस्तु कुछ भी हो ।

- फैक्स / ई-मेल तथा किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा । इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

- इस संबंध में <u>**2,00,000 रू.** की जमा धरोहर राशि (ईएमडी)</u> के मूल <u>दस्तावेज की हार्ड प्रति,</u> जो डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर / बैंक गारंटी के रूप में <u>सचिव, सं. लो. से. आ. को देय</u> हो क्रिटिकल डेट शीट में यथावर्णित ऑन लाइन बोलियों को प्रस्तुत करने की तारीख तथा समय को या उससे पहले <u>अवर सचिव, सामान्य-2 कमरा नं. 208 ए - आयोग सचिवालय भवन,</u> **सं. लो. से. आ., धौलपुर हाऊस शाहजहां रोड, नई दिल्ली -110069** को पहुंच जानी चाहिए ।

(i) <u>**तकनीकी बोली:**</u>

बोलीदाता को **अनुबंध-V** में दर्शाई गई **जांच सूची** में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियां जो <u>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो,</u> **तकनीकी बोली** के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए -:

(क) पैन कार्ड की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति ।

(ख) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति ।

(ग) फर्म की वर्ष 2018-19 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षो की प्रत्येक वर्ष की आयकर विवरणियों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां ।

(घ) फर्म की वर्ष 2018-19 सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के ऑडिट किए गए तुलन पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां।

(ङ) वार्षिक कारोबार के प्रमाण पत्र के संबंध में चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान के कम दो क्रय आदेशों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां।

(छ) 2,00,000/- रू. की (ई एम डी) जमा धरोहर राशि हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति ।

(ज) अनुबंध-II और अनुबंध -III के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति ।

(झ) आयोग को दिए जाने वाली अनुबंध I में दी गई मदों के नमूने (जिन पर फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के दिनांक सहित हस्ताक्षर और मुहर हो)।

(ञ) मुल निविदा विशेष की जांच रिपोर्ट (मूल रूप में), जिसे सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित हो। अनुबंध I के पैकेज II में यथा उल्लिखित मुद्रित और प्लास्टिक कोटिंग वाले (अंदर से और बाहर से) नालीदार बॉक्सों के किन्हीं दो नमूनों का परीक्षण किए जाने के संबंध में, किसी सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित मूल निविदा विशेष परीक्षण रिपोर्ट

(II) **मूल्य बोली** : मूल्य बोली संबंधी विवरण अनिवार्यत: निर्धारित फॉर्मेट में ही प्रस्तुत किया जाए । बोलीदाता हर हाल में मूल्य बोली के लिए निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध-IV) में ही प्रस्तुत करेंगे । दरों को कर अलग कर उद्धृत किया जाना चाहिए । कर दरों के साथ अलग से उद्धृत किए जाएंगे ।

2. **जमा धरोहर राशि** :-

निविदा के साथ 2,00,000/- (दो लाख रू. मात्र) की जमा धरोहर राशि अनिवार्य रूप से जमा करना अपेक्षित है । जमा धरोहर राशि सचिव, सं. लो. से. आ; के पक्ष में दिल्ली / नई दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर / बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी, ऐसा न होने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी सूक्ष्म लघु उद्यम प्रापण नीति में यथापरिभाषित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत फर्मों अथवा केन्द्रीय क्रय संगठन अथवा संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में प्रजीकृत फर्मों को दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करने के संबंध में छूट दी गई है । अन्य बोलीदाताओं के लिए उपर्युक्त यथावर्णित निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(i) जमा धरोहर राशि बोली की वैधता से 45 (पैतालीस) दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

(ii) जमा धरोहर राशि को स्कैन किया जाएगा और निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि के भीतर ई- टेन्डरिंग वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और मूल सं. लो. से. आ. में जमा की जानी चाहिए ।

(iii) निविदा को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के बाद असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में सं. लो. से. आ. द्वारा जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

3. <u>निष्पादन गारन्टी:-</u>

सफल बोलीदाता को वार्षिक संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से निष्पादन प्रतिभूति प्रत्येक तीन वर्ष के लिए प्रस्तुत करनी होगी । यह निष्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारन्टी के रूप में होगी जो सचिव सं. लो. से. आ. के पक्ष दिल्ली में देय होगा और आशय पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर जमा करना होगा। निष्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक दायित्वों के पूर्व होने के नब्बे दिनों तक के लिए वैध रहेगी । यह स्पष्ट रूप से समझा लेना चाहिए कि कार्यक्षेत्र के अनुरूप कार्य न होने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति को जब्त किया जा सकता है । यह परिसमाप्त क्षति / शास्ति यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा जो इसके निबंधनों और शर्तो में विनिर्दिष्ट किया जाए । निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में निष्पादन प्रतिभूति पर सं. लो. से. आ. द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

<u>पात्रता मानदंड</u>

4. बोलीदाता के पास सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बॉक्सों, मुद्रित और प्लास्टिक कोटिंग वाले (अन्दर और बाहर) नालीदार बाक्सों की आपूर्ति करने का न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष का अनुभव होना चाहिए । इस संबंध में पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान हुए न्यूनतम 2 (दो) क्रय आदेशों की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ अनिवार्यत: संलग्न की जानी चाहिए ।

5. बोलीदाता के पास पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के दौरान कम से कम 50 लाख रुपए का कारोबार होना चाहिए । इस संबंध में, बोलीदाता को वर्ष 2018-19 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष की फर्म की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रतियां तथा चार्टरित लेखाकार द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेन-देन की प्रतियां देनी होंगी ।

6. बोलादाता पैकज I या II में से किसी एक पैकज में अथवा I एवं II दोनों पैकेज में भाग ले सकता है । पैकज I या II में से किसी एक पैकज में अथवा I एवं II दोनों पैकज में भाग लेने वाले संभावित बोलादाता संबंधित पैकेज में अपेक्षित प्रत्येक मद के नमूने प्रस्तुत करेगा । बोली में शामिल पैकज की के किसी भी मद के नमूने नहीं भेजने पर बोलीदाता की बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

7. भेजे गए नमूने अनुबंध-I में वर्णित विनिर्देशों के अनुरुप तथा खंड II में यथापेक्षित परीक्षण प्रमाण-प्रत्र के साथ होने चाहिए । नमूनों के ऊपर फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के दिनांक सहित हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए । नमूने बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले सामान्य-II अनुभाग, कमरा नम्बर 007, एएसबी, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली में जमा करा दिए जाएं । बोलीदाता द्वारा भेजे गए केवल उन्हीं नमूनों पर वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा जो आयोग द्वारा तकनीकी रुप से स्वीकार्य होंगे ।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>

8. संविदा अवार्ड किए जाने की तारीख से 3 (तीन) वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन वैध होगी:-

(i) संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकाधिकार से एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है ।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकाधिकार से इस संविदा को तृतीय वर्ष की दरों और उन्हीं निबंधन एवं शर्तों के आधर पर आगे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है ।

9. सामग्री विनिर्देशों के अनुरुप नहीं होने पर पूरी आपूर्ति बोलीदाता के जोखिम पर रदद् कर दी जाएगी । अत: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि मदों की विनिर्देशों के अनुसार

तथा अनुमोदित नमूने के अनुरुप गुणवत्ता होना सुनिश्चित करें । यदि किसी भी स्थिाति में यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा निम्न-स्तरीय या घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, तो फर्म को काली सूची में डालने के साथ साथ निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा।

10. पैकेज-I में तीन मदें तथा पैकेज-II में दो मदें हैं । संभावित बोलादाता पैकज I या II में से किसी एक पैकज में अथवा I एवं II दोनों पैकज में भाग ले सकते हैं और अपनी दरें दे सकते हैं ।

11. दोनों मुद्रित और प्लास्टिक लोपित (अन्दर और बाहर से)नालीदार बाक्सों (अनुबंध-I का पैकेज-II) में से किसी एक के संबंध में, निविदा विशेष की परीक्षण रिपोर्ट किसी सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित मूल रूप से परीक्षण किए गए नमूनों के साथ भेजी जानी अनिवार्य है । निविदा नमूने को भविष्य में की जाने वाली संपूर्ण आपूर्ति तथा निविदा की पूरी अवधि की आपूर्ति के लिए अग्रिम नमूना माना जाएगा , यदि आपूर्ति की जाने वाली मदों की गुणवत्ता के प्रति संदेह उत्पन्न होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग को इसकी जांच किसी सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाली में आपूर्तिकर्त्ता के जोखिम एवं लागत पर कराने का अधिकार होगा ।

12. अनुमानित वार्षिक मात्रा अनंतिम है तथा इसे संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षा के अनुसार बढ़ाया जा घटाया जा सकता है ।

13 बोलीदाता अपनी मूल्य बोली में प्रत्येक तीन वर्षों (अनुलग्नक IV पर विवरण) के लिए उनके द्वारा भाग लिए जाने वाले पैकेज (अर्थात पैकेज-I या पैकेज-II या दोनों पैकेज) में प्रत्येक मद की वार्षिक यूनिट दर निर्दिष्ट करेंगे । इन दरों में संघ लोक सेवा आयोग तक सामग्री का ढुलाई/उतराई से संबंधित सभी प्रभार शामिल होंगे । निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं होने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

14. करों को दरों के साथ अलग से दर्शाया जाएगा । जो बोलीदाता कर की दरों को अलग से नहीं दर्शाएगें उन्हें प्रतिक्रियाशील नहीं माना जाएगा और उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

15. **बोलियों का मूल्यांकन**

(i) **तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन:** तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन बोलीदाताओं द्वारा भेजे गए तकनीकी बोली दस्तावेजों तथा कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बाक्सों, नालीदार बाक्सों एवं मुद्रित और प्लास्टिक लोपित (अन्दर और बाहर) नालीदार बाक्सों के नमूनों के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन:

(क) केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलिया खोली जाएंगी, जिनके मामले में संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी ने तकनीकी बोलियों की विस्तृत जांच के बाद उन्हें अनुमोदित कर दिया हो ।

(ख) पैकेज-I में भाग लेने वाले बोलीदाता केवल पैकेज-I के लिए मूल्य बोली भेजेंगे । पैकेज-II में भाग लेने वाले बोलीदाता केवल पैकेज-II के लिए मूल्य बोली भेजेंगे । पैकेज-I तथा पैकेज-II दोनों में भाग लेने वाले बोलीदाता पैकेज-I तथा पैकेज-II दोनों के लिए मूल्य बोली भेजेंगे ।

(ग) वित्तीय मूल्यांकन समस्त तीन वर्षों के लिए दी गई दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । एल-I बोलीदाता का निर्णय दोनों पैकजों में प्रत्येक के लिए अलग से किया जाएगा जैसाकि अनुलग्नक-I पर एसओआर तालिका में विनिर्दिष्ट किया गया है । एल-I बोलीदाता का चयन, अनुलग्नक-IV में दिए गए विवरण के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य(एनपीवी) के आधार पर किया जाएगा । तथापि, भुगतान विक्रेता द्वारा उद्धृत वर्षवार यूनिट दरों पर लागू करों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) **प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होने के अंतर्गत मूल्यांकन:-**

यदि एल-1 चयनित बोलीदाता प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर देता है, तो उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा एल-1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर पर प्रस्ताव एल-2 बोलीदाता को दिया जाएगा । एल-2 बोलीदाता द्वारा प्रसताव अस्वीकार किए जाने की स्थिति में , एल-1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर पर प्रस्ताव तब तक दोहराया जाएग जब तक अंतिम बोलीदाता तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती । यदि उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद भी कोई बोलीदाता उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रक्रिया को असफल माना जाएगा और फिर से निविदा प्रक्रिया शुरु की जाएगी ।

16. बोलिया तकनीकी बोलिया खोले जाने की तारीख से 180 दिन तक वैध होंगी ।

17. काल्पनिक तथा सशर्त या अधूरी बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

18. संघ लोक सेवा आयोग को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी अथवा सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

19. आयकर: बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य- यथा लागू । बोलीदाताओं को अपनी स्थाई आय कर खाता संख्या (PAN) देनी होगी । बोलीदाताओं को फर्म की वर्ष 2018-19 सहित पूर्ववर्ती 3 वर्षों की आय कर विवरणी की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होगी । उन्हें अनुलग्नक-II के अनुसार प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आय-संपति छुपाने के मामले में शास्ति नहीं लगाई गई है या दोषी करार नहीं दिया गया है ।

20. बोलीदाताओं को जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें फर्म का जीएसटी पहचान नंबर (GSTIN) दिया गया हो ।

21. **सुपुर्दगी:** सामग्री की सुपुर्दगी आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर की जाएगी । तथापि आपातकालीन स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता को अपेक्षित मदों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा और मदों को कार्यालय तक भेजने का व्यय केवल संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा ।

22. **भुगतान शर्तें:** विक्रेता द्वारा सामग्री की सफल आपूर्ति करने तथा प्रयोगकर्त्ता शाखा द्वारा प्रमाणित किए जाने पर किया जाएगा ।

23. **जोखिम क्रय खंड:** यदि बोली प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति के बाद अर्थात आर्डर देने के बाद फर्म इन निविदा दस्तावेजों के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है तो संघ लोक सेवा आयोग को जमाधरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और खर्च पर सामग्री को अन्य फर्म से खरीदने का अधिकार होगा । वैकल्पिक व्यवस्था तथा फर्म की बोली मूल्य की अंतर लागत को अन्य आकस्मिक प्रभारों के साथ वसूला जाएगा। संघ लोग सेवा आयोग को वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य होने पर और यदि खरीद मूल्य कम है तो इसका कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

24. **परिसमाप्त क्षति:** सुपुर्दगी, प्रत्येक आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर की जाएगी ऐसा न होने पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए देर से भेजी गई सामग्री देरी के लिए 0.5% की दर से परिसमाप्त क्षति अधिरोपित की जाएगी जो आपूर्ति आदेश के मूल्य का अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा तथा इनकी कटौती संबंधित बिल से की जाएगी । 10 दिन से अधिक की देरी के मामले में संघ लोक सेवा आयोग उचित समझे जाने आपूर्ति आदेश को निरस्त कर सकता है और फर्म की जमा धरोहर राशि/निष्पादन प्रतिभूति की ऐसी राशि या पूर्ण राशि को जब्त कर सकता है, इसके अलावा बोलीदाता के जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य स्रोत से सामग्री का प्रापण कर सकता है । इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

25. **मध्यस्थता :** संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच के संबंध में पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद इस संविदा के परिणाम, अर्थ तथा परिचालन या लागू होना या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम,1996 के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त माध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों के लिए बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

26. **अधिकार क्षेत्र** : मध्यस्थता के उपरोक्त प्रावधान के अध्यधीन, इस संविदा के संदर्भ में कोई भी न्यायालयी मामला या कार्यवाही केवल दिल्ली के न्यायालयों में संस्थापित तथा संचालित की जा सकेगी अन्य किसी न्यायालय में नहीं और दोनों पक्षकार एतद्द्वारा ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करते हैं।

27. **अपरिहार्य परिस्थिति :** प्राकृतिक आपदाओं, जैसे अग्निकांड, बाढ़, भूकंप, चक्रवाती तूफान आदि तथा स्वयं के नियंत्रण से बाहर के कारणों, जैसे सिविल स्ट्राइक, लॉकआउट, हड़ताल, दंगे, गृह युद्ध आदि के परिणामस्वरुप संघ लोक सेवा आयोग अथवा बोलीदाताओं को जैसा भी मामला हो, उसकी ओर से इस संविदा के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने के विषय रहने या इस दिशा में चूक करने या कार्य निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, ऐसी किसी चूक, विफलता या विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस परिस्थिति में संबंधित पक्षकार को संगत कार्यों के निष्पादन के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को उक्त किसी घटना के घटने के 21 दिन के भीतर इस संबंध में नोटिस प्रदान कर दिया हो। अपरिहार्य परिस्थिति का नोटिस प्रदान करते हुए संबंधित पक्षकार संदर्भगत घटना के घटने के संबंध में सरकारी विभाग या एजेंसी या वाणिज्य चेंबर से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसकी संतुष्टि भी प्रदान करेंगे। पक्षकारों को, अपरिहार्य परिस्थिति के जारी रहने तक इस संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने से उस सीमा तक छूट प्रदान की जाएगी, जिस सीमा तक उक्त घटना ने उनके कार्य-निष्पादन को प्रभावित किया हो, बशर्ते कि ऐसी घटना के संबंध में उपरोक्तानुसार नोटिस तथा संतुष्टि प्रदान की गई हो, तथापि संघ लोक सेवा आयोग को यह अधिकार होगा कि यदि किसी हड़ताल, लॉकआउट, के कारण इस संविदा के तहत कार्य-निष्पादन 60 दिन से अधिक अवधि के लिए बाधित हुआ तो वह इस संविदा को निरस्त कर दे।

28. सफल बोलीदाता का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाए जाने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग को यह विवेकाधिकार होगा कि वह एक महीने का नोटिस देकर इस संविदा को समाप्त कर दें और यह संविदा किसी अन्य फर्म को प्रदान कर दें और साथ ही इस कार्यालय को हुए नुकसान/क्षति के लिए सफल बोलीदाता से सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के निर्णयानुसार धनराशि वसूल करें। इस मामले में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

29. कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बॉक्सों नालीदार बॉक्सों तथा मुद्रित एवं प्लास्टिक लेपित (अंदर और बाहर) नालीदार बॉक्स ओं के नमूने सामान्य-।। अनुभाव (टेलीफोन नंबर 011-2338 1141) में सभी कार्य दिवसों के दौरान अपराह्न 3.00 बजे के से अपराह्न 5.00 बजे के बीच देखे जा सकते हैं।

30. इस निविदा के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण कार्यालय समय के दौरान हेल्पलाइन नंबर 011-23381141 से प्राप्त किया जा सकता है।

31. यह निविदा नोटिस संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव (सा.-।।)

अनुबंध-I

आवश्यकताओं संबंधी अनुसूची (एसओआर)

तीन वर्ष के लिए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बक्सों तथा प्लास्टिक लेपित (अंदर और बाहर) नालीदार बाक्सों के प्रापण हेतु निविदा

पैकेज-I				
क्र.सं.	**मदों का विवरण****	**वर्षवार अनुमानित संख्या** ***		
		वर्ष 1	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**
1.	**कार्डबोर्ड (30X23X0.3) सेमी.**	**50,000**	**1,40,000**	**1,70,000**
2.	**कार्डबोर्ड बॉक्स (31X24X7) सेमी.**	**25,000**	**50,000**	**60,000**
3.	**नालीदार बॉक्स (31X24X4) सेमी.**	**15,000**	**40,000**	**50,000**

पैकेज-II				
क्र.सं.	**मदों का विवरण**	**वर्षवार अनुमानित संख्या** ***		
		वर्ष 1	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**
1.	**मुद्रित व प्लास्टिक लेपित (अंदर और बाहर) नालीदार बॉक्स (18X12.5X5) सेमी.**	**1,000**	**7,000**	**8,000**
2.	**मुद्रित व प्लास्टिक लेपित (अंदर और बाहर) नालीदार बॉक्स (18X12.5X6) सेमी.**	**3,000**	**10,000**	**15,000**

नोट :-

(1) अधिक जानकारी के लिए निम्नांकित विनिर्देश देखें।

(2) अनुमानित वार्षिक मात्रा अनंतिम है और संघ लोक सेवा आयोग की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार यह बढ़ या घट सकती है।

(3) ऐसे बोलीदाता, जो केवल पैकेज-। में शामिल हों, वे पैकेज-। की सभी मदों के नमूने जमा करें। ऐसे बोलीदाता जो केवल पैकेज-।। में शामिल हों,वे पैकेज-।। की सभी मदों के नमूने जमा करें। पैकेज-। तथा पैकेज-।। दोनों में शामिल बोलीदाता पैकेज-। तथा पैकेज-।। की सभी मदों के नमूने जमा करें।

<u>विनिर्देश:-</u>

1. पिछले पृष्ठ पर एसओआर तालिका में शामिल **सभी मदें** उन्हीं नमूनों के अनुरूप होनी चाहिए, जो सामान्य-।। अनुभाग, कमरा नं.-007, आयोग सचिवालय भवन, संघ लोक सेवा आयोग में देखे जा सकते हैं।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त, बोलीदाता सूनिचित कर लें कि निम्नांकित विनिर्देशों का अनुपालन अवश्य हों :-

पैकेज-।			
क्र.सं.	**मदें**	**विशिष्टताएं**	**बॉक्सों द्वारा धारित अधिकतम लोड*** **(कि.ग्रा. में)**
1.	कार्डबोर्ड (30x23x0.3) सेमी. आकार भीतरी है	1. कुल जीएसएम 1500 जीएसएम से कम नहीं होना चाहिए	----
2.	कार्डबोर्ड बॉक्स (31x24x7) सेमी. आकार भीतरी है	2. इसके कार्डबोर्ड का कुल जीएसएम 1250 जीएसएम (±5%) होना चाहिए	3 कि.ग्रा.
3.	नालीदार बॉक्स** (31x24x4) सेमी. आकार भीतरी है	(i) इस्तेमाल किए जाने वाले नालीदार बोर्ड का कल जीएसएम-700 जीएसएम (±5%) (ii) प्लाई = 05 (iii) फ्लूट टाइप = ई (iv) पेपर टाइप = सेमी-क्राफ्ट पेपर (v) फ्लूट की दिशा = वर्टिकल (खड़ी) (Vi) नमी की मात्रा = 7 से 10 % (Vii) जोड़ की संख्या = 2 से अधिक नहीं (Viii)प्रत्येक जोड़ पर स्टेपलों (बिना जंग लगने वाली सामग्री के) की संख्या-3 (ix) स्टेपलों का कोण (डिग्री) = 45^0	1 कि.ग्रा.

<table>
<tr><th colspan="4">पैकेज –II</th></tr>
<tr><th>क्र.सं .</th><th>मद</th><th>विनिर्देश **</th><th>बक्से द्‌वारा वहन किया जाने वाला अधिकतम भार (में .ग्रा.कि)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मुद्रित तथा प्लास्टिक कोटेड (अंदर तथा बाहर) दार बक्सेनाली (18x12.5x5 इंच) परिमाण आंतरिक हैं</td><td rowspan="2">(I) प्रयुक्त किए जाने वाले नालीदार बोर्ड का कुल जीएसएम = 1050 जीएसएम 5±)%)
(II) प्लाई = 07
(III) फ्लूट टाइप = बी
(IV) पेपर टाइप = सेमीक्राफ्ट पेपर-
(V) फ्लूट की दिशा = ऊर्ध्वाधर
(VI) आर्द्रता मात्रा = ७ से १० %
(VII) जोड़ की संख्या = 2 से अधिक नहीं
VIII) प्रत्येक जोड़ पर स्टेपलों (बिना जंग लगने वाली सामग्री के) की संख्या - 3
(IX) स्टेपल लगाने का कोण (डिग्री) =45^0
(X) प्लास्टिक कोटिंग का प्रकार = बीओपीपी यली वाई अक्सी) (ओरिएटेड पॉलीप्रोपाइलीन
(XI) प्लास्टिक कोटिंग का माइक्रॉन = न्यूनतम नमाइक्रॉ 10</td><td>9 कि.ग्रा.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मुद्रित तथा प्लास्टिक कोटेड (अंदर तथा बाहर) नालीदार बक्से (18x12.5x6 इंच)

परिमाण आंतरिक हैं</td><td>11 कि.ग्रा.</td></tr>
</table>

* बक्से उपर्युक्त पैकेज –I तथा पैकेज –II की तालिकाओं में दिए गए विवरणानुसार भार को वहन करने हेतु पर्याप्त मजबूत होने चाहिएं।

** नालीदार बक्सों में प्रयुक्त चिपकने वाला पदार्थ प्रर्याप्त रूप से सशक्त होना चाहिए ताकि वह कागज के साथ चिपका रहे और वह कम आर्द्रता सोखने वाला होना चाहिए ताकि आर्द्रता के संपर्क में आने पर प्लाई में विकृति न आए।

*** उपर्युक्त पैकेज- II की दो में से किसी एक मद के संबंध में, किसी भी सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला से प्राप्त मूल निविदा विशिष्ट परीक्षण रिपोर्ट को परीक्षण किए गए नमूने के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

अनुदेश :-

1. मुद्रित और प्लास्टिक लेपित(अंदर तथा बाहर) नालीदार बक्सों) एसओआर तालिका में दिए गए पैकेज-II की मदों(को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनिवार्यत: हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित किया जाए ।

(I) (II) (III) (IV)	भारत सरकार सेवार्थ O.I.G.S. स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल /, डाक सेवा Speed Post/ Express parcels, Postal service बीमित राशि Insured for rupees से From सचिव, Secretary, सं.आ.से.लो. धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड UPSC, Dholpur house, Shahjahan Road नई दिल्ली 1100 69 New Delhi 110069	}	लंबे किनारों वाले विपरीत फलकों पर
(V)	सावधानीपूर्वक संभालें Handle with care	}	छोटे किनारों वाले शेष बचे विपरीत फलकों पर

अनुबंध ॥

हमने ....(फर्म का नाम और पता) आपके दिनांक .... के एन आई टी के जवाब में गत्ते, गत्ते के बक्सों और प्रिंटेड तथा प्लास्टिक लोपित (अंदर और बाहर) नालीदार बक्सों की खरीद हेतु निविदा के संबंध में एक तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। एनआईटी के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं :-

1. कि हमें निविदा के सभी नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं।
2. कि हम एनआईटी के विनिर्देशों से पूर्ण रूप से अवगत हैं और हमारी बोली पूरी तरह एनआईटी के नियमों व शर्तों के अनुरूप है।
3. कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान फर्म का कम से कम 50 लाख रुपये का कारोबार रहा है।
4. कि पिछले ठीक तीन वर्षों के दौरान मुझे/हमें आय/संपत्ति को छिपाने के लिए दंडित या दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
5. कि मुझे/हमें किसी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
6. फर्म का विवरण निम्नलिखित है:

1	**फर्म का नाम**	
2	**कार्यालय का पता**	
3	**फोन/मोबाइल नं**	
4	**ई-मेल**	

7. हम इसमें भाग ले रहे हैं) सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं-:(

(i) केवल पैकेज I

(ii) केवल पैकेज II

(iii) पैकेज I और II दोनों

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध III

<u>घोषणा</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा कोई संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली में तैनात नहीं है/हैं । यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/गलत है, तो संघ लोक सेवा आयोग को मुझे कोई पूर्व सूचना दिए बिना उपयुक्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा।

दिनांक :

(बोलीकर्ता का तारीख सहित हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ)

अनुबंध- IV

मूल्य बोली का प्रपत्र

बोलीदाता द्वारा सीपीपी पोर्टल पर मूल्य बोली को बीओक्यू फॉर्मेट में ही अपलोड किया जाना अपेक्षित है। किसी अन्य फॉर्मेट में मूल्य बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। मूल्य अनुसूची का सामान्य फॉर्मेट निम्नानुसार है:-

पैकेज-I					
क्र.सं.	**मदों का विवरण**	**इकाई दर (रू.में) (करों को छोड़कर)**			**कर यथा लागू**
		प्रथम वर्ष (वाई1)	**द्वितीय वर्ष (वाई2)**	**तृतीय वर्ष (वाई3)**	
1.	**कार्डबोर्ड (30x23x0.3) सेमी.**				
2.	**कार्डबोर्ड बॉक्स (31x24x7) सेमी.**				
3.	**नालीदार बॉक्स (31x24x4) सेमी.**				

पैकेज-II					
क्र.सं.	**मदों का विवरण**	**इकाई दर (रू.में) (करों को छोड़कर)**			**कर यथा लागू**
		प्रथम वर्ष (वाई1)	**द्वितीय वर्ष (वाई2)**	**तृतीय वर्ष (वाई3)**	
1.	**प्रिंटेड और प्लास्टिक कोटेड (अंदर एवं बाहर) नालीदार बॉक्स (18x12.5x5) सेमी.**				
2.	**प्रिंटेड और प्लास्टिक कोटेड (अंदर एवं बाहर) नालीदार बॉक्स (18x12.5x6) सेमी.**				

टिप्पणी:

1) पैकेट-I में भाग लेने वाले बोलीदाता अवश्य ही केवल पैकेट-1 के लिए ही मूल्यबोली प्रस्तुत करें। पैकेट-II में भाग लेने वाले बोलीदाता अवश्य ही केवल पैकेट-II के लिए ही मूल्यबोली प्रस्तुत करें। पैकेट-I और II दोनों में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को पैकेट-I और II दोनों के लिए मूल्यबोली प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2) अनुमानित वार्षिक मात्रा अनंतिम है और यह संघ लोक सेवा आयोग के आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकता है

3) कर यदि कोई है तो उसे अलग से उद्धृत करना है अन्यथा उद्धृत दरों को कर सहित माना जाएगा और करों को शामिल किए जाने हेतु आगे किसी भी अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये कर समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवर्तनशील हैं।

4) दरों में सामग्रियों को संघ लोक सेवा आयोग तक परिवहन/अनलोडिंग से संबंधित सभी प्रभार शामिल हैं।

5) संविदा का प्रथम वर्ष उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन यह संविदा प्रदान की जाएगी।

6) एनपीवी (मौजूदा सकल मूल्य) की 10% वार्षिक छूट की दर से गणना की जाएगी।

(i) प्रत्येक दोनों पैकेटों के लिए एल-I पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। अनुबंध-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार पैकेज-I में तीन मद और पैकेज-II में जो मद है।

(ii) प्रत्येक दोनों पैकेजों के लिए पृथक एनपीवी होंगे और प्रत्येक तीन वर्ष के लिए प्रत्येक पैकेज की मदों के इकाई दर के योग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पैकेज में एनपीवी की गणना की जाएगी।

(iii) $NPV=\{y1+y2/(1+0.1)+y3/(1+0.1)^2\}$

[NPV=मौजूदा सकल मूल्य; y1=प्रथम वर्ष के लिए कुल उद्धत दर y2=दूसरे वर्ष के लिए कुल उद्धृतदर और y3=तीसरे वर्ष के लिए कुल उद्धृत दर]

NPV के उदाहरण:

(क) यदि y1=150 y2=200 और y3=240 है तो NPV की गणना इस प्रकार की जाएगी:-

NPV=150+(200/1.1)+(240/1.21)

=150+181.82+198.35

=530.17

अत:, NPV 530.17 रू. है

(ख) यदि y1=300,y2=250 और y3=200, है तो NPV की गणना इस प्रकार की जाएगी:-

NPV=300+(250/1.1)+(200/1.21)

=300+227.27+165.29

=692.56

अत:, NPV 692.56 रू. है

L-1 का चयन NPV के आधार पर होगा तथापि, विक्रेता द्वारा उद्धृत वर्ष-वार आधार पर यथा लागू कर सहित भुगतान किया जाएगा।

अनुबंध- V

जांच सूची

क्रम सं.	विवरण	हां/ नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	क्या ई एम डी की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न हैं।		
2.	क्या वर्ष 2018-19 सहित पिछले तीन वर्षों की फर्म की आयकर विवरणियों की हस्ताक्षरित और स्कैन प्रति संलग्न है ।		
3.	क्या वर्ष 2018-19 सहित पिछले तीन वर्ष के फर्म के लेखा तुलन पत्रों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है ।		
4.	क्या चार्टड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्न ओवर सर्टिफिकेट की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है ।		
5.	क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2 खरीद आर्डर की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति भी संलग्न है ।		
6.	क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है ।		
7.	क्या जी एस टी पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है ।		
8.	क्या अनुबंध-I में उल्लिखित मदों के नमूने (फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तारीख और मुहर सहित हस्ताक्षर हो) संघ लोक सेवा आयोग को सौंपे गए हैं ।		
9.	अनुबंध-II में उल्लेख किए अनुसार दो प्रकार के प्रिंटिड ओर प्लास्टिक लेपित (अंदर से और बाहर से) लहरदार बॉक्सों में से किसी एक नमूने का परीक्षण किए जाने के संबंध किसी सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित मूल निविदा विशिष्ट परीक्षण रिपोर्ट		
10.	क्या अनुबंध-II में उल्लिखित प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है ।		
11.	क्या अनुबंध-III में उल्लिखित घोषणापत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है ।		

(फर्म का प्राधिकृत नाम और पता)

(दूरभाष दूरभाष नं / फैक्स नं/ नं ___________________________.

ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करें । नीचे दिए गए अनुदेशों का आशय सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने, अपेक्षाओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी और अधिक जानकारी https : // eprocure.gov.in / eprocure /app से प्राप्त की जा सकती है ।

पंजीकरण:

1) बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट (यू आर एल :https://eprocure.gov.in/eprocure/app) पर सी पी पी पोर्टल पर "ऑन लाइन बोलीदाता नरॉलमेंट" लिंक जो कि प्रभार रहित है, पर क्लिक करके इनरॉल करना अपेक्षित है ।

2) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।

3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना वैध ई-.मेल आई डी तथा मोबाइल नं रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

4) इनरॉलमेंट हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणन प्राधिकारी (उदाहरणार्थ सिफी/ ई-मुद्रा / एन कोड / टी सी एस आदि) द्वारा अपने प्रोफाइल सहित जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र साइनिंग की यूसेज सहित (श्रेणी ।। या श्रेणी III प्रमाण पत्र) रजिस्टर करना अपेक्षित होगा।

5) बोलीदाता को केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सके ।

6) बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी/पासवर्ड और डी एस सी/ ई-टोकन डाल कर साइट पर लॉग इन करें ।

निविदा दस्तावेज़ की खोज :

1) विभिन्न पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है । इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं । निविदा की उन्नत खोज के लिए एक और विकल्प भी मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फार्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज करने के लिए शामिल कर सकते हैं ।

2) अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ निविदा / कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं । यह सी पी पी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एसम सेमेल के माध्य-ई / निविदा दस्तावेज़ के लिए जारी होने वाले किसी भी शुद्धि पत्र की जानकारी दे सकेगा ।

3) प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आई डी का नोट बना लेना चाहिए, यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मदद चाहते हैं ।

बोली तैयार करना :

1) अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।

2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पूरा पढ़ लें और बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजो को समझ लें। कृपया लिफाफों की संख्या जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें । इनसे किसी प्रकार का विचलन होने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

3) बोलीदाता को अग्रिम रूप से बोली दस्तावेजों को टेंडर दस्तावेज/अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार तैयार रखना चाहिए और सामान्यतया वे पी डी एफ / एक्स एल एस/आर ए

आर/डी डब्ल्यू एम/जे पी जी फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किए गए हो जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को छोटा करने में मदद करता हो।

4) वेज़ों के आकार प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समान प्रकार के मानक दस्तावेज़ों को अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात् पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाता को मुहैया कराया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए उनको उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं । बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत करें और इन्हें बारबार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा।

<u>नोट</u> : मेरा दस्तावेज स्पेस बोलीदाताओं को अपलोडग करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिया गया केवल रिपोजिटरी है । यदि बोलीदाता ने मेरा दस्तावेज स्पेस में अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए है, तो इससे स्वत: यह सुनिश्चत नहीं होता है कि ये दस्तावेज तकनीकी निविदा का हिस्सा हैं ।

<u>बोली प्रस्तुत करना :</u>

1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए समय से पूर्व साइट पर लॉगइन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजो को डिजीटल हस्ताक्षर करके एक एक कर अपलोड करना है ।

3) बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए / "ऑफ लाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और दस्तावेज का विवरण प्रविष्ट करना होगा ।

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ संबंधित अधिकारी को डाक द्वारा/कुरियर/व्यक्तिगत तौर पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार भेजा जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भेजे गए डिमांड ड्राफ्ट कोई अन्य

स्वीकार्य दस्तावेज़ के विवरण का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण से तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्टि किए गए डेटा से होना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओ क्यू फार्मेट में दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड किया जाए और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए । बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है, इसे खोलें और अपने सम्बंद्ध वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियां (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ सफेद रंग (अरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरण पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑनलाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बी क्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किया गया पाया जाता है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डेशबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इंक्रिप्शन तकनीकों पी के आई का प्रयोग करते हुए इंक्रिप्टेड होंगे ताकि डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। प्रविष्ट के गए डेटा को बोली खोले जाने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी के फिल्डों को डेटा स्टोरेज सुरक्षित सॉकेत 128 का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील इंक्रिप्शन किया गया है। कोई बोली दस्तावेज़ जो सर्वर पर अपलोड किया गया है वो सिस्टम जनित सिमेट्रिक का उपयोग कर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त कुंजी ऐसे मैट्रिक इंक्रिप्शन का प्रयोग कर क्रेता/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का प्रयोग करने के अध्यधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए दस्तावेज़ प्राधिकृत बोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद केवल पठानिया होंगे।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होंगे ।

9) बोली के सफल तथा समय पर प्रस्तुतीकर (अर्थात् पोर्टल में “फ्रिज बिड सबमिशन” को क्लिक करने के बाद) के बाद पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं . और अन्य सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

10)बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें । इस पावती को बोली खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

11) <u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

(i) निविदा दस्तावेज़ उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।

(ii) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित प्रश्न को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है। बोलीदाता + 91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।